नानगाचन्द बनाम राजेन्द्र कुमार मु.नं. 54/ए

दिनांक	आज्ञा पत्र	
30.1.25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट......स्वीकार की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 54/2023

1 नानगचन्द पुत्र श्री नागरमल उम्र 86 साल जाति महाजन निवासी पिपराली तहसील व जिला सीकर राज. हाल आबाद खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 राजेन्द्र पुत्र स्व. गोकुलचन्द
2 महेन्द्र पुत्र स्व. गोकुलचन्द
3 दीपचन्द पुत्र स्व. श्री सत्यनारायण (मृत)
3/1 मनोज कुमार पुत्र स्व. दीपचन्द
3/2 उमेश कुमार पुत्र स्व. दीपचन्द
3/3 श्रीमती किरण देवी पत्नी स्व. दीपचन्द
3/4 ज्योति कुमारी पुत्री स्व. दीपचन्द
4 कैलाश पुत्र स्व. सत्यनारायण
5 छीतर पुत्र स्व. सत्यनारायण
समस्त जाति महाजन निवासीगण ग्राम पीपराली तहसील व जिला सीकर राज. हाल आबाद खण्डेला तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।
6 सुरेश पुत्र स्व. मांगीलाल जाति महाजन निवासी पिपराली तहसील व जिला सीकर राज.।
7 प्रेमकुमार पुत्र स्व. मांगीलाल जाति महाजन निवासी पिपराली तहसील व जिला सीकर राज. हाल आबद सुरजनगर पश्चिम केशवपथ सोडाला जयपुर राज.।
8 मुरारी पुत्र मांगीलाल
9 अशोक कुमार पुत्र मांगीलाल
10 सज्जन कुमार पुत्र स्व. ओंकार
11 विनोद कुमार पुत्र स्व. ओंकार
12 श्रीप्रकाश पुत्र स्व. ओंकार
13 संजीव पुत्र लाल मोहन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

14 राजीव पुत्र लाल मोहन
15 जयप्रकाश पुत्र स्व. बजरंगलाल (मृत)
16 अमित पुत्र जयप्रकाश
17 महेश पुत्र स्व. बजरंग लाल
18 संदीप कुमार पुत्र स्व. रामवतार
समस्त जाति महाजन निवासीगण ग्राम पीपराली तहसील व जिला सीकर राज.।
19 उप पंजीयक सीकर।
20 हल्का पटवारी पटवार हल्का पिपराली तहसील व जिला सीकर तहसीलदार सीकर जिला सीकर राज.।
21 तहसीलदार सीकर जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

विविध अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 17.08.2023 अदालत उपखण्ड अधिकारी सीकर बउनवानी आवेदन नानगचन्द बनाम राजेन्द्र आदि प्रकरण संख्या 215/2022 आवेदन अ. धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।
अपील अ.धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :
1. श्री विद्याधर सुण्डा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नानूराम, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 30.1.25

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 215/2022 में पारित निर्णय दिनांक 17.08.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अ.धारा 212 बाबत भूमि खसरा नम्बर पुराना 468, 326/1527 थे। खसरा नम्बर 468 के नये खसरा नम्बर 1299, 1300 व खसरा नम्बर 326/1527 के नये खसरा नम्बर 1474, 1478 वाके ग्राम पिपराली का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 के दादा स्व. श्योनारायण पुत्र मोटा जाति महाजन निवासी पिपराली तहसील व जिला सीकर राज. ठिकाना सीकर के जागीरदारी के समय से वादग्रस्त कृषि भूमियों को काश्त करते रहे है। जो स्व. श्योनारायण की खुद काश्त की कृषि भूमियां रही है वादग्रस्त कृषि भूमियां कभी भी जागीरदार व माफी मन्दिर अथवा माफि मन्दिर चन्द्र बिहारीजी वाके सीकर की खुद काश्त की भूमि नहीं रही है अपीलकर्ता व रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 5 व रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ता 16 के पूर्व स्व. श्योनारायण, ठिकाना सीकर के समय से वादग्रस्त कृषि भूमियों को खुद काश्त की हैसियत से निरन्तर काबिज काश्त करते आ रहे है व लगान ठिकाना, सीकर को अदा करते आ रहे है। स्व श्योनारायण का देहान्त संवत 2004 में हो गया है उसके बाद अपीलकर्ता व रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 5 के पिता स्व. नागरमल व रेस्पोडेन्टस संख्या 6 ता 16 के पितागण व वादग्रस्त कृषि भूमियों को खुद काश्त की हैसियत से काश्त करते रहे है। राजस्थान लैण्ड रिफार्मस ऑफ जागीरदर एक्ट 1952 के प्रभाव में आने पर जागीरदार की माफी समाप्त होने के वक्त अपीलकर्ता के पिता स्व. नागरमल व रेस्पोडेन्टस संख्या 2 ता 5 के दादा स्व नागरमल व रेस्पोडेन्टस संख्या 5 ता 21 के पितागण स्व. मांगीलाल, स्व. औंकार व स्व. बजरंगलाल व स्व रामवतार पुत्रगण श्योनारायण वादग्रस्त कृषि भूमियों पर खुद काश्त होने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने की दिनांक 15.10.1955 से इस अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों के तहत अपीलकर्ता के पिता स्व. नागरमल व प्रतिअपीलकर्ता संख्या 6 ता

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

16 के पिता स्व. मांगीलाल स्व. औंकार व स्व. बजरंग लाल व स्व. रामवतार को खातेदारी अधिकार प्राप्त होना कानूनन अपेक्षित है। परन्तु रेस्पोडेन्टस संख्या 6 ता 16 के स्व. पितागण ने राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में प्रविष्टियां करवा ली है जो अवैध शुन्य व प्रभावहीन होने के कारण उसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में हुई प्रविष्टियां शुन्य की श्रेणी में है उक्त प्रविष्टियां सेटलमेंट विभाग व राजस्व विभाग के कर्मचारियों को इस प्रकार की अवैध प्रविष्टियां करने का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व उनके तहत बने नियमों के तहत कानूनन अधिकार नहीं है। इस प्रकार की प्रविष्टियों को सेटलमेंट कार्यवाही की समाप्ति के पश्चात नियमित वाद में निरस्त करने का माननीय अदालत हाजा को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। राजस्व रिकार्ड में जो प्रविष्टियां प्रारम्भ मं ही अवैध शुन्य एवं प्रभावहीन है उनके आधार पर ना तो रेस्पोडेन्टस संख्या 6 ता 16 अथवा उनके पूर्वजों को खातेदारी अधिकार प्राप्त होते है और न ही इस प्रकार की गलत अवैध प्रविष्टियों से खातेदारी अधिकारों का निर्धारण होता है। इस प्रकार की राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टियां स्वामित्व अथवा खातेदारी अधिकारों का निश्चात्मक सबुत नहीं होते है और न ही इन प्रविष्टियों के आधार पर रेस्पोडेन्टस संख्या 6 ता 16 के पितागण व उसके पश्चात रेस्पोडेन्टस संख्या 6 ता 16 को खातेदारी अधिकार होते हैं तथा राजस्व रिकार्ड में उक्त अवैध प्रविष्टियों के पश्चातवर्ती क्रम में हुई प्रविष्टियां पूर्णतया अवैध शुन्य व प्रभावहीन है। इसे बावजूद भी विचारण न्यायालय ने वादग्रस्त कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 1299 एवं 1300 तन पिपराली की खातेदारी जमाबंदी संवत 2075–78 में जयप्रकाश, पुत्र बजरंगलाल, प्रेम कुमार पुत्र मांगीलाल, महेश पुत्र बजरंगलाल, विनोद पुत्र उंकारमल, प्रदीप कुमार पुत्र रामोतार एवं संदीप कुमार पुत्र रामवतार के नाम दर्ज है तथा प्रथम जमाबंदी संवत 2011 से 2014 में पुराने खसरा नम्बर 468 की खातेदारी मांगीलाल, उंकारमल, बजरंगलाल , रामोतार पिता श्योनारायण के नाम से दर्ज होने, को सही मानकर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। वादग्रस्त कृषि भूमि पुराना खसरा नम्बर 468 की जमाबंदी संवत 1998 में खातेदारी माफी मंदिर चन्द्र बिहारीजी वाके सीकर के नाम से दर्ज रही है उक्त भूमि वादग्रस्त भूमि कभी भी जागीरदार व माफी मन्दिर चन्द्र बिहारी जी वाके सीकर की खुद काश्त की नहीं रही है। अपीलकर्ता व रेस्पोडेन्टस के पूर्वज श्योनारायण ठिकाना सीकर के समय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

से वादग्रस्त कृषि भूमियों को खुद काश्त की हैसियत से निरन्तर काबिज काश्त करते रहे हैं व लगान ठिकाना, सीकर को अदा करते आ रहे है। श्योनारायण के देहान्त के बाद रेस्पोडेन्टस के पितागण के साथ अपीलकर्ता के पिता नागरमल वादग्रस्त कृषि भूमियों को खुद काश्त की हैसियत से राजस्थान लैण्ड रिफार्मस ऑफ जागीरदार एक्ट के प्रभाव में आने पर जागीरदार की माफी समाप्त होने के वक्त काबिज काश्त करते रहे उसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट की पितागण ने सैटलमेंट विभाग के अधिकारियों से साज कर राजस्व अभिलेख में गलत प्रविष्टियां करवाई है जो गलत है। अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर यह पूर्णतया साबित है कि अपीलकर्तागण के पिता नागरमल स्व. श्योनारायण के जायन्दा पुत्र है जो वादग्रस्त कृषि भूमियों पर सम्वत 1998 के बाद स्व. श्योनारायण की मृत्यु के बाद रेस्पोडेन्ट के पितागण के साथ में सह काश्तकार की हैसियत से काबिज रहे है। अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व अनावेदकगण के जवाब के आधार पर यह पूर्णतया साबित है कि अपीलकर्ता के पिता नागरमल, रेस्पोडेन्ट के पितागण मांगीलाल, उंकार, बजरंगलाल व रामवतार स्व श्योनारायण के जायन्दा पुत्र है। जो हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रथम श्रेणी के वारिसान है तथा वादग्रस्त कृषि भूमियों में कानूनन हिस्सा प्राप्त करने अधिकारी है। इस कानूनी बिन्दू को भी विचारण न्यायालय ने दरगुजर कर आदेश पारित किया है जो प्रकटतः ही निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्ट/अनावेदकगण के जवाब व आवेदन अ.आदेश 39 नियम 4 सीपीसी में किये गये कथनों से यह पूर्णतया साबित है कि रेस्पोडेन्ट ने वादग्रस्त कृषि भूमियों पर से अपीलकर्ता व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 5 को महरूम करने की नियत से अपीलकर्ता/प्रार्थी को बेदखल करने की नियत से उक्त तीजू देवी पत्नी भगवानाराम, जाति जाट निवासी नागरवाला जोहड़ा तन पिपराली को विक्रय कर उनका कब्जा कराने का कथन किया गया है। जब रेस्पोडेन्ट के कथनानुसार उन्होंने तीजू देवी को बेचान कर दिया है तो प्रस्तुत प्रकरण में उनके जवाब प्रस्तुत करने व उन्हें पैरवी करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है न ही उक्त तीजू देवी ने प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकार बनने हेतु कोई आवेदन किया गया है इस बिन्दू को भी विचारण न्यायालय ने दरगुजर कर आदेश पारित किया है। अपीलकर्ता व रेस्पोडेन्ट के अभिकथनों व उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यो के आधार पर पूर्णतया वादग्रस्त कृषि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भूमि अपीलकर्ता व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की संयुक्त हिन्दू परिवार की शामलाती सम्पदा है। जिस पर अपीलकर्ता व रेस्पोडेन्ट अपने अपने हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से काबिज काश्त करते आ रहे है व प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजात व अभिकथनों के अनुसार अपीलकर्ता स्व श्योनारायण का जायन्दा पुत्र है। अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रथम दृष्टया मामला से अभिप्राय है कि दावा में दोनों पक्षों के अभिकथनों के अनुसार यदि विधि का कोई सारभूत प्रश्न अन्तरनिहित हो तो दावा के निर्णय तक वादग्रस्त कृषि भूमि को दायरी दावा के समय की यथास्थिति को कायम रखने हेतु राजस्व रिकार्ड व अन्य किसी प्रकार की स्थिति में परिवर्तन न हो इस हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दोनों पक्षों को यथास्थिति कायम रखने हेतु पाबन्द किया जाना कानूनन आवश्यक है इसके साथ ही अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रयोजन विवाद की विषयवस्तु को अधिकारों के संबंध में निर्णय किये बिना दावा के निर्णय तक वर्तमान स्थिति में सुरक्षित रखना है तथा विवादित भूमि पर आगे होने वाली किसी सम्भावित क्षति को रोकना है। जिससे विवाद ओर न बढ़े। इन सभी कानूनी बिन्दूओं को विचारण न्यायालय ने दरगुजर कर अपीलकर्ता के आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा का निरस्त कर दिया है जबकि रेस्पोडेन्टस वादग्रस्त कृषि भूमि से अपीलकर्ता के खातेदारी अधिकारों को समाप्त करने की अभिशंषा अपने जवाब आवेदन में दर्ज अभिकथनों के आधार पर तृतीय पक्षकार को बेचान करने की अभिशंषा जाहीर कर चुके है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय के रेस्पेडेन्ट द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि को बेचान करने से अपीलकर्ता के खातेदारी अधिकारों पर विपरित असर होकर अपूर्णीय क्षति होगी तथा वाद विविधता पक्षकारों के मध्य ओर बढेगी। इन सभी कानूनी बिन्दुओं को विचारण न्यायालय ने दरगुजर कर विचाराधीन निर्णय आदेश पारित किया है। जो प्रकटतः ही निरस्तनीय है। प्रकटतः केश, सुविधा का संतुलन व अपुर्णीय क्षति का बिन्दू अपीलकर्ता के पक्ष में है इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य पक्षकारों के अभिकथनों का कानूनी परिप्रेक्ष्य में विवेचन न कर विचाराधीन निर्णय पारित करने में कानूनी व वाक्याती गलती की है। जो प्रकटतः ही निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्टस द्वारा अपने जवाब के कथनानुसार श्रीमती तीजू देवी पत्नी श्री भगवानाराम, जाति जाट निवासी पिपराली को वादग्रस्त भूमि को बेचान करने का अभिकथन किया है। जिसे दावा व आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

में न तो पक्षकार बनाया गया है और न ही उक्त तीजू देवी ने पक्षकार बनने हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त जवाब के बाद रेस्पोडेन्ट प्रस्तुत प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही करने के लिए कोई अधिकार नहीं है। इसके बावजूद भी इस तथ्य को भी दरगुजर कर आदेश जैर अपील पारित किया है। जो निरस्तनीय है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में एआईआर 2011 ओडिसा पेज 155, आरआरडी 1965 पेज 120, एआईआर 1993 एससी पेज 276, आरआरटी 2013(2) पेज 1033, डीएनजे 2011(2) पेज 713, एआईआर 2023 एपी पेज 468, एआईआर 2019 कर्नाटका पेज 188 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के अनुसार ग्राम पिपराली तहसील व जिला सीकर की तन में विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1299 एवं 1300 की खातेदारी जमाबंदी संवत 2075–78 में जयप्रकाश पुत्र बजरंगलाल, प्रेमकुमार पुत्र मांगीलाल, महेश पुत्र बजरंगलाल, विनोद पुत्र उंकारमल, प्रदीप कुमार पुत्र रामोतार एवं संदीपकुमार पुत्र रामवतार के नाम दर्ज है। खतौनी जमाबंदी संवत 1998 ठिकाना सीकर में पुराने खसरा नम्बर 326/1527 में खातेदार के कालम में श्योनारायण वल्द मोटा दर्ज है। इसके बाद प्रथम जमाबंदी संवत 2011 से 14 में पुराने खसरा नम्बर 468 की खातेदारी मांगीलाल, उंकारमल, बजरंगलाल, रामोतार पिता श्योनारायण के नाम दर्ज है। गिरदावरी संवत 2011 से 14 में खसरा नम्बर 326/1527 में खातेदारी श्योनारायण वल्द मोठूराम एवं काश्तकार के कालम में मांगीलाल, उंकारमल, बजरंगलाल, रामोतार पिता श्योनारायण के नाम दर्ज है। जमाबंदी संवत 2015 से 18 एवं 23 में भी इसी प्रकार दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नम्बर 1299 एवं 1300 पुराने खसरा नम्बर 468 से बनना प्रमाणित है। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र क कालम संख्या 7 में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि (खसरा नम्बर 1474 से 1467 की किस्म परिवर्तन तहसीलदार से गुपचुप तरीके से करवा लिया है जो वर्तमान में कृषि भूमि नहीं है। जिसके संबंध में भी सक्षम प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष चाराजोही करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए प्रस्तुत वाद

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

खसरा नम्बर 1299 व 1300 का प्रस्तुत किया गया है।) इस प्रकार प्रार्थी का दावा व प्रार्थना पत्र मात्र खसरा नम्बर 1299 व 1300 के संबंध में है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 1998 ठिकाना सीकर की पुराने खसरा नम्बर 326/1527 की प्रस्तुत की गई है। जिसके नये खसरा नम्बर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 में अंकितानुसार खसरा नम्बर 1474 एवं 1478 बनना बताया गया है, जिसकी किस्म अलग होने से दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होने के कारण इनके बाबत कोई सहायता नहीं चाही गई है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजात पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि पुराने खसरा नम्बर 468 की खातेदारी कभी श्योनारायण के नाम से रही हो। उत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी संवत 2011 से 14 में खसरा नम्बर 348 की खातेदारी नागरमल पुत्र श्योनारायण के नाम से दर्ज है। संवत 2015 से 18 में खसरा नम्बर 347 की खातेदारी आरटीएक्ट के तहत नागरमल को प्राप्त होना प्रमाणित है, इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2015 से 18 में खसरा नम्बर 346 की खातेदार नागरमल को प्राप्त होना प्रमाणित है। इनका यहां उल्लेख करना इसलिये आवश्यक है कि उत्तरदाता ने अपने जवाब में प्रार्थी को श्योनारायण के जीवनकाल में ही बालिग होने पर अलग रहना अंकित किया है। जिसकी ताईद उक्त दस्तावेजात से होती है इस बाबत प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि प्रार्थी स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है। इसके अलावा प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमियों का विक्रय भी किया गया है तथा विवादित भूमियों बाबत संवत 2011 के बाद संवत 2075 में अर्थात अर्सा करीब 64 साल बाद चाराजोही की गई है जिसके बाबत प्रार्थना पत्र में कोई स्पष्टीकरण अंकित नहीं किया गया है। उपर्युक्त प्रस्तुत दस्तावेजी विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने खसरा नम्बर 1299 एवं 1300 बाबत सहायता चाही है, उक्त भूमियों के पैतृक होने बाबत कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित नहीं है। ना ही काउण्टर आवेदनकर्ता संख्या 4 व 5 के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला पूर्णतया प्रमाणित है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता व रेस्पोडेन्ट के अभिकथनों व उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यो के आधार पर पूर्णतया वादग्रस्त कृषि भूमि अपीलकर्ता व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 की संयुक्त हिन्दू परिवार की शामलाती सम्पदा है। जिस पर अपीलकर्ता व रेस्पोडेन्ट अपने अपने हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से काबिज काश्त करते आ रहे है व प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजात व अभिकथनों के अनुसार अपीलकर्ता स्व श्योनारायण का जायन्दा पुत्र है। अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रथम दृष्टया मामला से अभिप्राय है कि दावा में दोनों पक्षों के अभिकथनों के अनुसार यदि विधि का कोई सारभूत प्रश्न अन्तरनिहित हो तो दावा के निर्णय तक वादग्रस्त कृषि भूमि को दायरी दावा के समय की यथास्थिति को कायम रखने हेतु राजस्व रिकार्ड व अन्य किसी प्रकार की स्थिति में परिवर्तन न हो इस हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दोनों पक्षों को यथास्थिति कायम रखने हेतु पाबन्द किया जाना कानूनन आवश्यक है इसके साथ ही अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रयोजन विवाद की विषयवस्तु को अधिकारों के संबंध में निर्णय किये बिना दावा के निर्णय तक वर्तमान स्थिति में सुरक्षित रखना है तथा विवादित भूमि पर आगे होने वाली किसी सम्भावित क्षति को रोकना है। जिससे विवाद ओर न बढ़े। इन सभी कानूनी बिन्दूओं को विचारण न्यायालय ने दरगुजर कर अपीलकर्ता के आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा का निरस्त कर दिया है जबकि रेस्पोडेन्टस वादग्रस्त कृषि भूमि से अपीलकर्ता के खातेदारी अधिकारों को समाप्त करने की अभिशंषा अपने जवाब आवेदन में दर्ज अभिकथनों के आधार पर तृतीय पक्षकार को बेचान करने की अभिशंषा जाहीर कर चुके है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय के रेस्पेडेन्ट द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि को बेचान करने से अपीलकर्ता के खातेदारी अधिकारों पर विपरित असर होकर अपूर्णीय क्षति होगी तथा वाद विविधता पक्षकारों के मध्य ओर बढेगी। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। वाद के निर्णय तक विवादित भूमि के संदर्भ में उभयपक्ष को पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष को ताफैसला वाद ग्राम पीपराली की भूमि खसरा नम्बर 1299, 1300, 1474, 1478 की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबंद किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.1.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर